



ई0पी0सं0- 3-13

क्रमांक 168/2017

आरबीई सं0-85/2017

सं0 ई/9/16/भाग-11/चार

दिनांक 25-08-2017

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

समी वित्तप्रबन्धक

समी मण्डल रेल प्रबन्धक

समी कर्मिक अधिकारी

समी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

समी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश-रनिंग स्टाफ को अतिरिक्त भत्ता प्रदान करने से सम्बन्धित निर्णय।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या पीसी-VII/2017/1/7/5/5 दिनांक 10.08.2017 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि


25.08.17

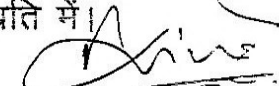
(ए0 के0 सिंह)

उपमुकाधि/अराज

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूडरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूडरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर-02 प्रतियों में।
- 6- मुकायाधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।


25.08.17

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) /(RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 32
आरबीई सं. 85/2017

सं.पीसी-VII/2017/17/5/5

नई दिल्ली, दिनांक 10.08.2017

Ch. 05 / Ruling
Singh 23/8

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश- रनिंग स्टाफ को अतिरिक्त भत्ता प्रदान करने से संबंधित निर्णय।

कृपया रेल मंत्रालय के दिनांक 11.09.2008 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/1/आरएसआरपी/1 (क्रम सं. पीसी-VI/2 एवं आरबीई सं. 108/2008) के अनुलग्नक 'बी' की मद सं. 3 जिसमें रनिंग स्टाफ के लिए 01.01.2006 से लागू संशोधित वेतन संरचना की अनुसूचियां परिपत्रित की गई हैं और दिनांक 02.11.2010 के पत्र सं. पीसी-VI/2010/1/आरएसआरपी/4 (क्रम सं. पीसी-VI/234 और आरबीई सं. 159/2010) जो अतिरिक्त भत्ते के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने के बारे में हैं, का अवलोकन करें। कतिपय आशोधनों के साथ सरकार द्वारा भत्तों पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति रनिंग स्टाफ की कुछ कोटियां अर्थात् लोको पायलट मेल/एक्सप्रेस, लोको पायलट यात्री/मोटरमैन, गार्ड मेल/एक्सप्रेस को प्रदान किए गए अतिरिक्त भत्तों की दरों में संशोधन करने और रनिंग स्टाफ की कुछ अन्य कोटियां अर्थात् लोको पायलट गुड्स और वरिष्ठ यात्री गार्ड को निम्नलिखित दरों पर अतिरिक्त भत्ता सहर्ष प्रदान करने का निर्णय लिया है।

- (i) लोको पायलट मेल/एक्सप्रेस को ₹ 2,250/- प्रतिमाह
 - (ii) लोको पायलट यात्री/मोटरमैन को ₹ 1125/- प्रतिमाह
 - (iii) गार्ड मेल/एक्सप्रेस को ₹ 1125/- प्रतिमाह
 - (iv) लोको पायलट गुड्स को ₹ 750/- प्रतिमाह
 - (v) वरिष्ठ यात्री गार्ड को ₹ 750/- प्रतिमाह
2. इस भत्ते पर महंगाई भत्ता देय होगा। बहरहाल, पेंशन संबंधी लाभों के लिए इसकी गणना नहीं की जाएगी
 3. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।

उप निदेशक, वेतन

189

21.8

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

PC-VII No. 32
RBE No.: 85/2017

File No. PC-VII/2017/I/7/5/5

New Delhi, dated: 10/08/2017

The General Manager, CAOs/R,
All Indian Railways & Production Units,
(As per mailing list)

**Sub: - Recommendation of 7th Central Pay Commission – Decision
relating to grant of Additional Allowance to Running Staff.**

Please refer to item 3 of Annexure 'B' of Ministry of Railways' letter No. PC-VI/2008 I/RSRP/1 dated 11.09.2008 (S. No. PC-VI/2 & RBE No. 108/2008) circulating schedules of revised pay structure for running staff effective from 01.01.2006 and letter No. PC-VI/2010/I/RSRP/4 dated 02.11.2010 (Sl. No. PC-VI/234 & RBE No. 159/2010) regarding clarification on Additional Allowance. Consequent upon the acceptance of recommendation of 7th Central Pay Commission on Allowances by the Government with certain modifications, the President is pleased to revise the rates of Additional Allowance granted to certain categories of Running Staff viz. Loco Pilot Mail/Express, Loco Pilot Passenger/Motorman, Guard Mail/Express and grant of Additional Allowance to some other categories of Running Staff viz. Loco Pilot Goods and Sr. Passenger Guard at the following rates.

- (i) Rs. 2,250/- per month to Loco Pilot Mail/Express.
- (ii) Rs. 1,125/- per month to Loco Pilot Passenger/Motorman.
- (iii) Rs. 1,125/- per month to Guard Mail/Express.
- (iv) Rs. 750/- per month to Loco Pilot Goods.
- (v) Rs. 750/- per month to Sr. Passenger Guard.

2. Dearness Allowance will be payable on this allowance. However, it will not count for pensionary benefits.

3. These orders shall take effect from 1st July, 2017.

4. Hindi version is attached herewith.


(Jaya Kumar G)

Deputy Director, Pay Commission-VII
Railway Board

File No. PC-VII/2017/I/7/5/5

New Delhi, dated: 10/08/2017

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.



For Financial Commissioner, Railways